# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–05 / 2022 तारीख रजू:–19.12.2022

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2022 / 159

*पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह ( आर.ए.एस.)*

1. मु0 कैलाशी पुत्री मडया पत्नि रामस्वरूप खाती निवासी पैतृक ग्राम जोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी ससुराल ग्राम बंधा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

–अपीलांट

बनाम

1. सीताराम दत्तक पुत्र मड्या खाती निवासी ग्राम जोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत जोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित–

वकील अपीलांटः–श्री सुरेश कुमार वर्मा, एडवोकेट

वकील रेस्पो0 संख्या 1:– श्री लोकेश कुमार सीठा, एडवोकेट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 25.12.2000 ग्राम पंचायत जोला

## –: निर्णय :–

निर्णय दिनांकः–30.03.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि

❖ माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा म. धारा के स्थान पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में तस्दीक किया गया यह नामान्तरकरण पर अपील संख्या 48 विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व ना तो अपीलांट का सुनवाई व सबूत का कोई अवसर दिया और ना ही नामांतकरण नियमो की पालना की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:02 IST
Reason: SelfAttested

- नामान्तकरण खोलने से पूर्व पटवारी हल्का ने मु. धापा बेवा महया खाती के वारिसान बाबत् कोई जांच नहीं की तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के नियमो के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खोले गये नामान्तकरण को तस्दीक कर दिया। अपीलांट मु. धापा एवं मडया की पैदायशीपुत्री है जो अपने पिता मडया व माता मु. धापा के जन्मी थी। इस प्रकार अपीलांट धापा की वारिस होने से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सीताराम को केवल अपने हक में नामान्तकरण खुलवाने का कोई कानूनी हक नहीं था, बल्कि यह नामान्तकरण मु. धापा के स्थान पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक मे बहिस्सा बराबर का भरना चाहिए था क्योकि उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पुत्र एवं पुत्री को बराबर का हक प्राप्त होता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में पटवारी हल्का ने बिल्कुल अवैध एवं गलत रूप से यह नामान्तकरण भर दिया।
- नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने भी वारिसान की कोई जांच नही की एवं अपीलांट मु. धापा की वारिस होते हुये भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में भरे गये इस अवैध नामान्तकरण को तस्दीक कर दिया। नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत हेतु कोई अवसर नही दिया गया, ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। विरासत का नामान्तकरण तन्हा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के बजाय अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर का दर्ज व तस्दीक किया जाना चाहिए था। इस प्रकार माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने यह नामान्तकरण विधि एवं नियमो के विपरीत तस्दीक किया है।
- नामान्तकरण ग्राम पंचायत में कोरम के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। बल्कि सरपंच महोदय ने कोरम के बाहर अकेले मे ही यह नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। इस प्रकार यह नामान्तकरण मजमे आम में पेश व तस्दीक न होने से कतई अवैध हो जाता है।
- अपीलांट का विवाह ग्राम बंधा में हुआ है जो अपने पति एवं बच्चो के साथ ज्यादातर ग्राम बंधा में रहती है जो अपने माता पिता की मौजूदगी में अपने पीहर जोला जाती रहती थी तथा इनके फोत हो जाने के बाद भी वह रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के बुलाने पर शादी विवाह एवं अन्य अवसरों पर तथा अपनी माता की छोडी हुई कृषि भूमि को संभालने व उपज में अपना आधा हिस्सा लेने समय–समय पर ग्राम जोला जाती रहती है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अक्सर अपनी माता मु. धापा के हिस्से की कृषि भूमि रकबा करीब 8 बीघा को साझे बाटे पर काश्त करवाते है तथा पैदावार आने पर उसे बांट लेते है तथा अपीलांट लागत मे अपने हिस्से की कीमत रेस्पोडेन्ट को देती आयी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने कभी इस नामान्तकरण बाबत् अपीलांट को जानकारी नही दी और ना ही इसका अपीलांट

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का [illegible] (स० मा०)

से कभी कोई जिक किया। अपीलांट उसे अपने भाई की तरह समझती एवं मानती आयी है। इसलिए अपीलांट ने कभी रेस्पोडेन्ट नं. 1 के प्रति अविश्वास नही किया, इस कारण [illegible] की जानकारी भी पूर्व अपीलांट को नहीं हो पाई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:02 IST
Reason: SelfAttested

- अपीलांट को इस [illegible] की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.03.2005 को पटवारी हल्का के बताये जाने पर हुई थी अपीलांट ने दूसरे दिन दिनांक 05.03.2005 को अपने पति के साथ चौथ का बरवाडा जाकर तहसील में नामान्तकरण का प्रार्थना पत्र पेश करवाया जिस पर दिनांक 07.03.2005 को नामांतकरण की नकल प्राप्त हुई थी तथा इसके विरूद्ध अपीलांट दिनांक 14.03. 2005 को माननीय जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील उनवानी मु. कैलाशी बनाम सीताराम वगैरहा अंतर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर दी जो दर्ज होकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी कर तलब किया गया तो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सीताराम की ओर श्री घनश्याम चौधरी एडवोकेट ने अपना वकालात नामा पेश किया जो कि अपील चलती रही लेकिन दौराने अपील रेस्पोडेन्ट सीताराम ने अपीलांट विश्वास में लेकर कहा कि इस प्रकार मुकदमा लडने से समाज में मेरी ईज्जत खराब होती है इसलिए तुम अपील को वापिस ले लो या खारिज करवा दो तथा में कभी भी अभियान चलने पर या रजिस्ट्री करवाकर तुम्हारे नाम आधे भाग की सहखातेदारी लगवा दूंगा। इस पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट की बात को मानते हुये दिनांक 19.12.2006 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा इस कारण अब अपीलांट इस अपील में आगे कोई कार्यवाही नही चाहती है। इस कारण दिनांक 19.05.2006 को ही यह अपील माननीय उप जिला कलेक्टर महोदय स०मा० द्वारा खारिज कर दी गई। उस दिन दोनो पक्ष अर्थात अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या। मय अधिवक्तागण तारीख पेशी पर उपस्थित थे एवं दोनो पक्षो की पहचान न्यायालय की आदेशिका में अधिवक्तागणो द्वारा की गई थी।

- इसके बाद भी रेसपोडेन्ट सीताराम अपीलांट को विश्वास दिलाता रहा कि तुम्हे चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है में कभी भी मौका मिलने पर अभियान में या तहसील में जाकर या रजिस्टर्ड डीड के द्वारा तुम्हारे नाम समभाग की अर्थात 1/6 भाग की सहखातेदारी दर्ज करवा दूंगा। इस कारण अपीलांट ने कभी रेस्पोडेन्ट पर अविश्वास नहीं किया एवं उसके भरोसे में रहते रहे लेकिन कई वर्ष निकल जाने के पश्चात् जब रेस्पोडेन्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की तो अपीलांट ने आखिरी बार उसे दिनांक 11.11.2022 को फिर कहा तो उसने स्पष्ट रूप से इंकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

करते हुये कहा कि में 1/6 भाग की सहखातेदारी तेरे नाम कभी नही कराऊंगा तथा मैने तो नामांतकरण की अपील को खारिज करवाने के लिए तुझे खूब भरोसा दिलाया था तुझे जो करना है वो कर ले मैं अब कभी तेरे नाम भूमि नही कराऊंगा। जब जाकर अपीलांट को रेस्पोडेन्ट की दुर्भावना का पता चला तो अपीलांट ने दिनांक 11.11.2022 को ही सवाई माधोपुर आकर पूर्व की अपील से अपील मीमो, आदेशिकाऐ, प्रार्थना पत्र आदि की नकले प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करवाया जिस पर दिनांक 16.11.2022 को नकले प्राप्त हुई। लेकिन मूल नामांतकरण अपील के साथ ना होने से उसकी तलाश करवाकर दिनांक 28.11.2022 को तहसील चौथ का बरवाडा में नामांतकरण संख्या 48 की नकल प्राप्त करने हेतु नकल का प्रार्थना पत्र पेश करवाया जिस पर दिनांक 01.12.2022 को नामांतकरण की नकल प्राप्त हुई तथा खर्चे का इंतजाम कर आज यह अपील पेश करवाई है। चूंकि पूर्व अपील पेश करवाते समय चौथ का बरवाडा में माननीय एस०डी०ओ० न्यायालय ना होने के कारण सवाई माधोपुर एस०डी०ओ० न्यायालय ही कार्यरत था जिस कारण यह अपील वहाँ पेश की गई थी लेकिन अब चौथ का बरवाडा में एस०डी०ओ० न्यायालय खुल जाने से ग्राम जोला तह० चौथ का बरवाडा में आने के कारण यह अपील श्रीमान् के न्यायालय में पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा पूर्व की अपील को रेस्पोडेन्ट के झूठे विश्वास में आकर खारिज करवाया था तथा उसके बाद रेस्पो० कई वर्षों तक आश्वासन देकर अपीलांट का टालता रहा इस कारण अपीलांट उसके झूठे आश्वासन में आने के कारण पूर्व में पुनः अपील पेश नहीं करवा सकी तथा आखिर में रेस्पो० द्वारा अपीलांट के नाम भूमि का भाग दर्ज करवाने से इंकार करने पर अपीलांट ने तहसील से नामांतकरण की नकल निकलवाकर पुनः यह अपील पेश की है। जो कि देरी का यह एक बोनाफाईड कारण है जो माफ किये जाने योग्य है इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना मय शपथ पत्र साथ में सलंग्न है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर बोनाफाईड डिले कन्डोन करते हुये अपील अन्दर मियाद समात फरमाई जावे। यहा यह भी निवेदन है कि इनवेलिड/बोईड निर्णय/आदेशो को अपास्त किये जाने हेतु समय सीमा की कोई पांबदी नही होती तथा ऐसे निर्णय/आदेश अपील करने की समय सीमा निकल जाने के कारण वेलिड नही हो जाते एवं वह हमेशा के लिए इनलीगल व बोईड होते है एवं किसी भी समय अपास्त किये जा सकते है जैसा कि उक्त नामांतकरण आदेश कतई इनलीगल व वोईड है एवं अपास्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:02 IST
Reason: SelfAttested

❖ अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत जोला तहत तहसील बरवाडा द्वारा तस्दीक किया गया यह नामांतकरण जेर अपील संख्या 48

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

ग्राम जोला तस्दीक दिनांक 25. 12.2000 अपास्त फरमाई जावे एवं मृतक मु. धापा बेवा मडया जाति खाती निवासी जोला के स्थान पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में बहिस्सा बराबर अर्थात 1/6–1/6 भाग का विरासत का नामांतकरण खोला जाकर तस्दीक [illegible] के आदेश फरमाये जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible] नोटिस [illegible] रेस्पो0 जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:02 IST
Reason: SelfAttested

3. रेस्पो0 संख्या 2 के बावजूद तामील न्यायालय से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 04. 06.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पत्रांक भू0अ0/2023/863 दिनांक 21.03.2023 द्वारा रिपोर्ट पेश की है कि–

- ग्राम जौला का नामान्तरकरण संख्या 48 निर्णय दिनांक 25.12.2000 मु0 धापा बेवा मडया हि0 1/3 के बजाय सीताराम दत्तक पुत्र मडया, जाति खाती हि0 1/3 के पक्ष में ग्राम पंचायत जौला द्वारा निर्णित किया गया है।
- नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है।
- नामान्तरकरण संख्या 48 निर्णय दिनांक 25.12.2000 को ग्राम पंचायत जौला द्वारा निर्णित किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

5. अपीलांट वकील एवं वकील रेस्पो0 संख्या 01 की बहस सुनी गई। अपीलांट वकील ने अपील में अंकित कथनों का दोहरान किया।

6. मैंने अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 01 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अपीलांट वकील ने कथन किया है कि पटवारी हल्का ने मु. धापा बेवा महया खाती के वारिसान बाबत् कोई जांच नहीं की तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के नियमो के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खोले गये नामान्तकरण को तस्दीक कर दिया जबकि अपीलांट मु. धापा एवं मडया की पैदायशीपुत्री है जो अपने पिता मडया से अपनी माता मु. धापा के जन्मी थी। इस प्रकार अपीलांट धापा की वारिस होने से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सीताराम को केवल अपने हक में नामान्तकरण खुलवाने का कोई कानूनी हक नहीं था बल्कि यह नामान्तकरण मु. धापा के स्थान पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक मे बहिस्सा बराबर का भरना चाहिए था क्योकि उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पुत्र एवं पुत्री को बराबर का हक प्राप्त होता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में पटवारी

Vyom
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

हल्का ने बिल्कुल अवैध एवं गलत रूप से यह नामान्तकरण भर दिया। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत जोला तहत तहसील बरवाडा द्वारा तस्दीक किया गया यह नामांतकरण जेर अपील संख्या 48 ग्राम जोला तस्दीक दिनांक 25.12.2000 अपास्त फरमाई जावे एवं मृतक मु. धापा बेवा मडया जाति खाती निवासी जोला के स्थान पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में बहिस्सा बराबर अर्थात 1/6–1/6 भाग का विरासत का नामांतकरण खोला जाना न्यायसंगत है। वकील रेस्पो0 संख्या 01 ने कथन किया है कि उनवानी प्रकरण में पूर्व में न्यायालय [illegible] जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर में राजीनामा हो जाने के कारण पुनः इस नामान्तरकरण अपील को सुना जाना न्यायसंगत नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। परन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा किये गये [illegible] के अनुसरण में पालना नहीं की गई है। ग्राम जौला का नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 25.12.2000 मु0 धापा बेवा मडया हि0 1/3 के बजाय सीताराम दत्तक पुत्र मडया, जाति खाती हि0 1/3 के पक्ष में ग्राम पंचायत जौला द्वारा निर्णित किया गया है। रेस्पो0 संख्या 01, जो कि अपीलांट के पिता का दत्तक पुत्र एवं अपीलांट का भाई लगता है, जिस कारण मृतक धापा बेवा के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना था, परन्तु ग्राम पंचायत जौला ने बिना विधिक वारिसान की जांच के ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 48 ग्राम पंचायत जौला को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक धापा बेवा के विधिक वारिसान की नियमानुसार जांच एवं उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमीद दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:37:02 IST
Reason: SelfAttested